यात्रा भत्ता

विषय सूची

क0सं0	विषय	शासनादेश संख्या / दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण	सं0 411 / xxvii(7) / 2010 दिनांक 06 जनवरी, 2010	227–230
2.	यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण	सं0 480 / xxvii(7) / 2010 दिनांक 09 मार्च, 2010	231–232
3.	महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में लेखा संबंधी कार्य तथा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में शासकीय मुकदमों की पैरवी से सम्बन्धित कार्य हेतु जाने वाले सरकारी सेवकों को अनुमन्य अतिरिक्त दैनिक भत्ता समाप्त किया जाना	सं0 514 / xxvii(7) / 2010 दिनांक 08 अप्रैल, 2010	233–234
4.	सरकारी सेवकों के विदेश प्रशिक्षण तथा शासकीय कार्य हेतु गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन आदि में विदेश जाने हेतु सम्बन्धित नियंत्रक विभाग एवं वित्त विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना	सं0 561 / xxvii(7) / 2010 दिनांक 04 जून, 2010	235–236
5.	सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांकः 31.12.2003 के प्रस्तर 7 व 11 का स्पष्टीकरण।	सं0 67 / xxvii(7)5(1) / 2011 दिनांक 08 जून, 2011	237–238

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या–411 /xxvii(7)/2010
देहरादून::दिनांक: 06 जनवरी,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

उपर्युक्त विषय के संबंध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 78/xxvii(7)/2009, दिनांक 1मार्च,2009 एवं तत्क्रम में जारी शुद्धि पत्र संख्या 100/xxvii(7)/2009, दिनांक 31मार्च,2009 द्वारा यात्रा–भत्ता की पूर्व दरों एवं व्यवस्थाओं को पुनरीक्षित किया गया है। उक्त शासनादेश में यात्रा–भत्ते के संबध में पूर्व में जो व्यवस्था/अनुमन्यता थी उनमें कमी कर दिये जाने तथा उसकी कतिपय व्यवस्थायें व्यवहारिक न होने के कारण विभिन्न स्रोतों से इनमें संशोधन के प्रस्ताव प्राप्त हुए है इन प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 1–3–2009 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(क) यात्रा–भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवकों की अधिकृत श्रेणी

पूर्व में कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–4–395/दस–99–600–99 दिनांक 11 जून,1999 में दिनांक 1.1.96 से प्रभावी वेतनमानों में रू0 16400 से 18300 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले अधिकारियों को रेल के वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 कि0मी0 से अधिक की यात्रा करने पर वायुयान अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास अनुमन्य था। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 1 मार्च, 2009 द्वारा केवल रू0 10,000 ग्रेड वेतन पाने वाले अधिकारियों जिनका पुराना वेतनमान रू0 18400–22400 था तथा केवल शासन के अपर सचिव को जो रू0 8900 के ग्रेड वेतन(पुराना वेतनमान रू0 16400–20,000 के वेतनमान)में हो को वायुयान का इकोनामिकल क्लास अथवा रेलवे का ए0सी0 प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस के एक्जीक्यूटिव क्लास की अनुमन्यता की गई है, अर्थात पूर्व में जो सुविधा पुराने वेतनमान रू0 16400–20,000 में कार्यरत अधिकारियों, जिनका नये वेतनमान में ग्रेड पे रू0 8900 है, उन्हें वह न प्राप्त होकर रेल का ए0सी0 टू टियर/प्रथम श्रेणी/ शताब्दी एक्सप्रेस के चेयरकार की अनुमन्यता की गयी है जोकि पूर्व की अनुमन्यता से कम है । अतः रू0 8900 ग्रेड वेतन के समस्त पद धारकों को पूर्व से अनुमन्य वायुयान का इकोनोमी क्लास अथवा रेलवे का ए0सी0 प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास की अनुमन्यता की निरन्तरता यथावत रहेगी।

(ख) दैनिक भत्ताः–वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 23 (जी)(1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरें जो शासनादेश दिनांक 1 मार्च,2009 के द्वारा संशोधित की गई है उनमें वर्तमान समय में रू0 4800 तथा इससे कम ग्रेड वेतन के पदधारकों हेतु पूर्व में 3 श्रेणियां थी जिन्हें अब घटाकर एक कर दिया गया है, जिसमें रू0 4600 ग्रेड वेतन के पदधारकों के लिए दैनिक भत्ते की दरों में 'अन्य जिला मुख्यालयों' के लिए आंशिक रूप से तथा 'शेष समस्त क्षेत्रों' के लिए कोई वृद्धि नहीं

) गई है। कतिपय पूर्व दरों में कोई वृद्धि न होने अथवा अत्यल्प वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित संशोधित दरें लागू होंगी:–

दैनिक भत्ते की दर

क0सं0	ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	देहरादून, नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र	अन्य जिला मुख्यालय	शेष समस्त क्षेत्र
1.	रू0 4600 तथा उससे कम ग्रेड वेतन	रू0 150	रू0 120	रू0 100

2) वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये निर्णय के अनुसार दैनिक भत्ते के प्रयोजनार्थ प्रदेश के बाहर की यात्राओं हेतु प्रथम दो श्रेणियों यथा रू0 12000 ग्रेड वेतन (अब संशोधन के फलस्वरूप एच0ए0 जी0 रू0 67000(3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)–79000) या उससे उच्च वेतनमान,ग्रेड वेतन रू0 10,000 तथा रू0 8900 के पद धारकों हेतु स्वंय की व्यवस्था पर यात्रा भत्ता में 50 कि0मी0 की यात्रा हेतु कमशः ए0सी0 तथा नान ए0सी0 टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था बडे नगरों हेतु बहुत कम है। यह अनुभव किया गया है कि प्रदेश के बाहर बडे शहरों के लिए 50 कि0मी0 मात्र की टैक्सी की अनुमन्यता व्यवहारिक नही है। सामान्यतः पदधारक के ठहरने के स्थान ट्रैवल एजन्सी से 10–15 कि0मी0 की दूरी पर होते हैं तथा बिना कोई दूरी तय किये 10–15 कि0मी0 आने तथा जाने की दूरी के जोड़ने पर लगभग 20–30 कि0मी0 की यात्रा अतिरिक्त रूप से जुड़ जाती है और सरकारी कार्य हेतु मात्र 20–30 कि0मी0 की यात्रा शेष रहती है।

अतः अब दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कलकत्ता शहरों हेतु शहर के अन्दर टैक्सी पर वास्तविक रूप से व्यय की गई धनराशि की अनुमन्यता होगी। राज्य के बाहर उक्त शहरों से भिन्न शहरों हेतु टैक्सी का एक दिन का वास्तविक व्यय 80 कि0मी0 की सीमा में अनुमन्य होगा ।

3) शासनादेश संख्या–78/xxvii(7)/2009 दिनांक 1 मार्च, 2009 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा इसकी अन्य समस्त शर्ते यथावत् रहेंगी।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव सचिव।

संख्या:4-II (1)xxvii(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबेराय भवन,माजरा,देहरादून ।
2. सचिव,मा0 राज्यपाल,उत्तराखण्ड देहरादून ।
3. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून
4. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
7. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. निदेशक,एन0आई0सी0 ।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या– / / XXVII(7) / 2010
देहरादूनः दिनांक 09 मार्च, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः– यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या– 78 / XXVII(7) / 2009, दिनाक 01.05.2009 के बिन्दु (3) में दैनिक भत्ते में प्रदेश के बाहर की जाने वाली यात्राओं के लिये निःशुल्क आवास अथवा निःशुल्क आवास एवं भोजन दोनों उपलब्ध होने की दशा में दैनिक भत्ते की दर सामान्य दर के 25 प्रतिशत के बराबर रखे जाने की व्यवस्था की गयी है। दैनिक भत्ते की उक्त व्यवस्था व्यवहारिक न होने के कारण इसमें निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

"यदि सरकारी सेवक को भोजन एवं आवास की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध होती हैं तो दैनिक भत्ते की दर चौथाई (1/4) और दोनों में एक सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होने पर आधी (1/2) दर पर दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा।"

2. उक्त संशोधन के फलस्वरूप शासनादेश संख्या– 78 / XXVII(7) / 2009 दिनाक 01.05.2009 दैनिक भत्ते के सन्दर्भ में केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या–480 / XXVII(7) / 2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय एकक, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 514 / xxvii(7) / 2010
देहरादून, दिनांकः 08 अप्रैल, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में लेखा संबंधी कार्य तथा मा0 उच्च न्यायालय,नैनीताल में शासकीय मुकदमों की पैरवी से संबंधित कार्य हेतु जाने वाले सरकारी सेवकों को अनुमन्य अतिरिक्त दैनिक भत्ता समाप्त किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 2857 / XXVII(7) / 2007, दिनांक 15 जनवरी, 2007 के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) द्वारा पांचवे प्रतिवेदन में संस्तुति की गई है कि यात्रा भत्ता की दरों के संशोधन के संबंध में पूर्व ही पर्याप्त उदार संस्तुतियां की जा चुकी है, फलस्वरूप महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में लेखा संबंधी कार्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में शासकीय मुकदमों की पैरवी से संबंधित कार्य हेतु की जाने वाले सरकारी सेवकों को अनुमन्य अतिरिक्त दैनिक भत्ता समाप्त किया जाए।

2– अतः शासन द्वारा वेतन समिति की उक्त संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में लेखा संबंधी कार्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में शासकीय मुकदमों की पैरवी से संबधित कार्य हेतु जाने वाले सरकारी सेवकों को अनुमन्य अतिरिक्त दैनिक भत्ता को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्याः 514 / xxvii(7) / 2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड,औबेराय भवन, माजरा,देहरादून ।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,उत्तराखण्ड शासन
3. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
4. मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तरांखण्ड ।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड ।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से
(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

संख्याः 561 XXVII(7) / 2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांक 04 जून, 2010

विषयः–सरकारी सेवकों के विदेश प्रशिक्षण तथा शासकीय कार्य हेतु गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन आदि में विदेश जाने हेतु सम्बन्धित नियंत्रक विभाग एवं वित्त विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना।

महोदय,

सरकारी सेवकों के विदेश प्रशिक्षण तथा शासकीय कार्य हेतु गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन आदि में विदेश जाने हेतु सम्बन्धित नियंत्रक विभाग एवं वित्त विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये जाने हेतु मुख्य सचिव की ओर से शासनादेश संख्या. 396 / XXVII(7)बा0से0 / 2009दिनांक 11–11–2009 (प्रतिलिप संलग्न) निर्गत किया गया था। विदेश यात्राओं के इस प्रकार के मामलों में प्रशासनिक विभाग द्वारा सम्बन्धित नियंत्रक विभाग की अनापत्ति प्राप्त कर वित्त विभाग की सहमति से वाह्य सेवा के आदेश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। यह भी अपेक्षा की गयी थी कि सभी विदेश भ्रमण कार्यक्रम जिसमें राज्य सरकार द्वारा व्ययभार वहन किये जाने प्रस्तावित हों उनमें उच्चानुमोदन प्राप्त करने के पूर्व वित्त विभाग की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाय। वित्त विभाग के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय विभागों में उक्त शासनादेश की व्यवस्था का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके विभाग में सरकारी सेवकों की विदेश यात्राओं के किन मामलों में शासनादेश की उक्त व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया गया है के संबंध में अद्यतन स्थिति से वित्त विभाग को एक सप्ताह के अन्दर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त

संख्याः (1)/xxvii(7)/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
2.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
3.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
4.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
5.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
6.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
8.समस्त प्रशिक्षण संस्थान,उत्तराखण्ड।
8.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
9.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 1000प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
10.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
11.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

संख्याः 67 / xxvii(7)5(1) / 2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 08 जून,2011

विषयः–सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 31–12–2003 के प्रस्तर–7 व 11 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः1115 / वित्त अनु0–3 / 2003 दिनांक 31 दिसम्बर,2003 के प्रस्तर–7 जो कि अवकाश यात्रा सुविधा भारत वर्ष में किसी भी स्थान पर आने जाने के लिए न्यूनतम दूरी वाले रास्ते पर अनुमन्य होगी। गन्तव्य स्थान पर जाते समय अथवा वापसी में सरकारी सेवक तथा उसके परिवार द्वारा रास्ते में एक अथवा उससे अधिक स्थानों पर रूकने अथवा अवस्थान किये जाने में आपति नहीं होगी, परन्तु उसे किराया निर्धारित दूरी के लिए सीधे टिकट के आधार पर ही अनुमन्य होगा, पर कर्मचारी संगठन द्वारा की जा रही इस जिज्ञासा के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय कि उपरिउल्लिखित शासनादेश के उपरोक्त बिन्दु प्रस्तर–7 में व्यवस्था वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 14 A(1) के अनुसार सीधी दूरी एक उपलब्ध रास्ते के अनुसार आगणन की व्यवस्था की गई है अतः शासनादेश के प्रस्तर–7 व 11 को निम्नवत् स्पष्ट किये जाने की एतद्द्वारा स्थिति स्पष्ट की जाती है।

1– यदि कोई सरकारी सेवक भारत वर्ष में यात्रा अवकाश सुविधा लेता है तब उसे यात्रा के स्थान से गन्तव्य स्थान तक आने–जाने के लिए न्यूनतम दूरी वाले रास्ते के आधार पर अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी तथा गन्तव्य स्थान पर जाते समय अथवा वापसी में सरकारी सेवक तथा उसके परिवार द्वारा रास्ते में एक अथवा उससे अधिक स्थानों पर रूकते है अथवा अवस्थान करते हैं तब भी उन्हें किराया निर्धारित दूरी के सीधे टिकट के आधार पर ही अनुमन्य होगा।

2– जिन स्थान पर रेल से जाने की सुविधा नहीं है तब वह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सड़क या नौका वाहन के साधन द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं, ऐसी स्थिती में यात्रा भत्ता दावा प्रस्तुत करते समय संबंधित क्षेत्र की सरकारी संस्था द्वारा लागू किराये के अनुसार ही दावे की प्रतिपूर्ति उस यात्रा की रसीद देयक के साथ प्रस्तुत करने पर की जाएगी। ऐसी स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक के द्वारा लिखित रूप में इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि संबंधित स्थान पर रेल सुविधा नहीं है और अमुक सुविधा ही उपलब्ध थी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या : 67 (1)/XXVII(7)5(1)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,नैनीताल,उत्तराखण्ड।
9. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12. सामान्य प्रशासन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
15. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।